कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

चुनाव अधि (आवश्यक)

क्रमांक: एफ(3)अकाद छा.चु./जीजीसीए/2022/67 दिनांक 23.08.2022

छात्रासंघ चुनाव 2022–2023

स्वीकृत नामांकन प्रपत्रों की अतिंम सूची

कार्यकारी परिषद् के विभिन्न पद :–

(अ) अध्यक्ष पद					
क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो नं.	टिप्पणी
1	अंजली मीणा	सॉवर लाल मीणा	एम0ए पूर्वार्द्ध गृहविज्ञान	8107020027	स्वीकृत
2	मधु चौधरी	रामलाल	बी0ए0 पार्ट तृतीय	9351091118	स्वीकृत
(ब) उपाध्यक्ष पद					
क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो नं.	टिप्पणी
1	चंचल तेजावत	पन्नालाल तेजावत	एम0ए पूर्वार्द्ध इतिहास	9521354518	स्वीकृत
2	साक्षी भाट	सुशील कुमार	बी0ए0 पार्ट तृतीय	8764943647	स्वीकृत
(स) महासचिव पद					
क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो नं.	टिप्पणी
1	सीमा मेघवंशी	मोहन मेघवंशी	एम0ए पूर्वार्द्ध इतिहास	6375348530	स्वीकृत
2	नेहा नायक	गजेन्द्र सिंह	बी0ए0 पार्ट तृतीय	8118803053	स्वीकृत
(द) संयुक्त सचिव पद					
क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	मो नं.	टिप्पणी
1	हर्षिता सैन	सुनील सैन	बी0ए0 पार्ट तृतीय	9509659642	स्वीकृत
2	विशाखा	अनिल कुमार	बी0ए0 पार्ट द्वितीय	6350023339	स्वीकृत

मुख्य चुनाव अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर

मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2022/63 दिनाँकः 23.8.2022

छात्रासंघ चुनाव 2022–23

चुनाव अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश

समस्त महाविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि छात्रसंघ चुनाव हेतु मतदान दिनांक 26.08.2022 को प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगा। अतः उक्त दिन प्रातः 7.00 बजे महाविद्यालय में उपस्थित हो जाये।

मतदान संबंधी आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है :–

1. पीठासीन अधिकारी अपने दल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर मतदान सामग्री दिनाक 26.08.2022 प्रातः 7.00 बजे चुनाव कार्यालय से सामग्री–सूची के अनुसार जाच कर प्राप्त करेगें।
2. तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी अपने दल एवं मतदान सामग्री के साथ अपने–अपने मतदान कक्ष (कमरा नं.) की ओर प्रस्थान करेंगे तथा अपने–अपने मतदान क्षेत्र पर बूथ आदि की व्यवस्था करवायेंगे।
3. **पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व मतपत्रों के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगे।**
4. चूंकि मतदान प्रारम्भ होने का समय प्रातः 8.00 बजे है इसलिए मतदाता मतदान क्षेत्र मे 7.55 बजे लंबी घंटी बजने पर प्रविष्ट हो सकेंगे। तीन घंटे बजने पर मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। एजेन्ट 7.45 पर संबंधित कक्ष में प्रविष्ट हो सकेंगे।
5. निर्धारित प्रपत्र पर एजेन्ट नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुमन गोयल द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र को ही मान्य करेंगें।

डॉ.सुमन गोयल के नमूना हस्ताक्षर

6. तत्पश्चात उपस्थित प्रत्याशियों/एजेन्टों/मतदाताओं की उपस्थिति में मत पेटियों को रिक्त दिखाकर बंद करेंगे। मतपेटी बंद करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्याशियों/एजेन्टो/ मतदाताओं एवं स्वयं के हस्ताक्षर होंगे। ध्यान रहे कि मतपेटी में मतपत्र डालने का छिद्र पूर्णतः खुला रहे।
7. 8.00 बजे तीन घंटे बजने पर व्यवस्थित रूप से मतदाताओं को मतदान के लिए आने दें।
8. पीठासीन अधिकारी के कार्य :–

मतदाता के आने पर सर्वप्रथम महाविद्यालय द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड और फीस रसीद (तीनों अनिवार्य)से उसकी सही पहचान कर लेंवे। छात्रा के साथ उसके पिता का नाम आवश्यक रूप से मिला लेवें। तत्पश्चात मतदाता सूची पर अंकित मतदाता के नाम के आगे उसके हस्ताक्षर करवाये तथा **छात्रा के मतदाता पहचान पत्र पर छात्रा के हस्ताक्षर करवाकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेवे।**

निविदत्त मत (टेन्डर वोट):– यदि कोई ऐसी छात्रा आपके पास मत देने आये जिसका मत पूर्व में ही कोई अन्य छात्रा डाल गई है तो प्रथमतः उसकी सही पहचान सुनिश्चित की जायेगी। यदि छात्रा सही पायी जाती है तो उसे **निविदत्त मत (टेन्डर वोट)** दिया जायेगा। टेन्डर वोट आपके पास उपलब्ध सभी मतपत्रों के बन्च में से आखरी बन्च होगा। पीठासीन अधिकारी इस मत के पीछे "टेन्डर वोट" लिख कर छात्रा को पेन तथा सामान्य रुप से मत प्रकट करने हेतु कहेंगें। ऐसे मत को मतपेटी में नहीं डलवाना है इसे अलग से लिफाफे में बन्द कर मतपेटी के साथ मतगणना कक्ष मे जमा करवाये।

आपत्ति मत (चेलेंज वोट):– यदि कोई ऐजेन्ट किसी छात्रा की पहचान हेतु आपत्ति प्रकट करता है तो आपत्ति करने वाले ऐजेन्ट को रु 50/– आपत्ति शुल्क (कार्यालय में जमा होगा व एजेन्ट रसीद प्रस्तुत करेंगें) के साथ आवेदन पत्र जमा करवाने हेतु कहा जायेगा। यदि ऐजेन्ट रु 50/– आपत्ति शुल्क मय आवेदन पत्र जमा करवाता है तो प्रथमतः पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात मुख्य चुनाव अधिकारी एवं अध्यक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा छात्रा की पहचान सही/गलत हेतु सुनिश्चित की जायेगी। यदि छात्रा सही पायी जाती है तो उसे आपत्ति मत दिया जायेगा। ऐसे मत को मतपेटी में डलवाना है।

अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

9. सहा0 पीठासीन अधिकारी के कार्य :–

Scanned with CamScanner

मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहले से ही खडा मोड़कर मतपत्रों का बन्च व एरोकास मार्क सील देवे। छात्रा को एरोकास मार्क सील सही लगाने का तरीका खाली कागज पर बतायें। तथा मतदान कक्ष में जा कर मत प्रकट करने हेतु निर्देशित करें। वापस आने पर मतपत्रों के बन्च को मतपेटी में डलवायें। एरोकास मार्क सील वापस लेवे तथा मतदाता को बाहर जाने हेतु कह देवे।

10. मतदाताओं को मतदान समाप्ति से पूर्व अंतिम चेतावनी घंटी पूर्वान्ह 12.55 बजे पर तीन घंटे बजाकर दी जायेगी।

11. मतदाताओं को मध्यान्ह 1.00 बजे तक मतदान क्षेत्र में आकर मत देने का अधिकार है। मतदान समाप्ति के लिए मध्यान्ह 1.00 बजे एक लंबी घंटी बजेगी। उस समय मतदान क्षेत्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार होगा। यहा मतदान क्षेत्र से तात्पर्य मुख्य भवन के चैनल गेट के अन्दर का भाग होगा।

12. मतदान समाप्त हो जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्याशि अथवा एजेन्ट के हस्ताक्षर करवा कर मतपेटी के छिद्रो व ताले पर पर ठीक से चिपका देवें तथा मतपत्र हिसाब विवरण को पूर्ण रूप से भर लेवें। मतपत्र हिसाब विवरण पर भी प्रत्याशि अथवा एजेन्ट के हस्ताक्षर करवा कर लेवे।

13. तत्पश्चात कार्यकारिणी मतपेटी एवं हिसाब विवरण प्रपत्र पीठासीन अधिकारी अन्य निर्वाचन अधिकारी के सहयोग से कक्ष नं. 105 में पहुंचायेगें।

14. मतदान के तुरंत बाद जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कक्षा प्रतिनिधि पदों पर मतदान हुआ है उन पर निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दल, प्रत्याशियों/एजेंटो की उपस्थिति में कक्षा प्रतिनिधि मतपत्रो की गणना का कार्य संपन्न करेंगे। (इस सत्र में लागू नहीं)

15. मतदान के समय यदि कोई मतदाता मतपत्र को खोलकर प्रदर्शित करता है अथवा किसी भी प्रकार से मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसी स्थिति में मतपत्र पर 'मतदान की **गोपनीयता भंग की'** लिख कर उस मतपत्र को निरस्त कर एवं अपने हस्ताक्षर कर मतपेटी में डाल देगा।

16. अगर कोई कार्यकारी परिषद का मतपत्र कक्षा प्रतिनिधि की मतपेटी में आ जाए तो उसे सावधानीपूर्वक बिना खोले उसे एक लिफाफे में बंद कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर उसके कार्यकारिणी मतगणना कक्ष में मुख्य चुनाव अधिकारी के सुपुर्द कर देगा।(इस सत्र में लागू नहीं)

17. चुनाव पश्चात मतपत्र लेखा, अप्रयुक्त मतपत्र व प्रयुक्त मतदाता सूची को एक लिफाफे में बंद कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर कक्ष संख्या 105 में मतपेटी के साथ जमा कराये।

किसी स्थिति में आप अपने मोबाइल फोन मतदान कक्ष में नहीं ले जायेंगें।

किसी स्थिति में निर्देश स्पष्ट न होने पर प्राचार्या तथा अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर

चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव
कन्या महाविद्यालय
अजमेर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2022/54 दिनांकः– 24.08.2022

छात्रासंघ चुनाव 2022–2023 मतदान केन्द्रों का विवरण

क्र. सं.	कक्षा	मतदाता सूची क्रमांक से	मतदाता सूची क्रमांक तक	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र (कमरा नं.)
1	B.A.Pt I A B C D	1001	1320	320	**HALL A**
2	B.A.Pt I E F G H	1321	1614	294	**HALL E**
3	B.A.Pt II A B C D	1615	1934	320	**118**
4	B.A.Pt II E F GHI	1935	2301	367	**119**
5	B.A.Pt III A B C D	2302	2621	320	**112**
6	B.A.Pt III EF G H	2622	2888	267	**113**
7	B.Com.Pt I A	3001	3040	40	**111**
8	B.Com.Pt II A	3041	3118(3194,3195)	80	
9	B.Com.Pt III A	3119	3193	75 TOTAL 195	
10	B.Sc. Pt.I MATHS B.Sc. Pt.II MATHS B.Sc. Pt.III MATHS B.Sc. Pt.I BIOLOGY B.Sc. Pt.II BIOLOGY B.Sc. Pt.III BIOLOGY	4001 4060 4121 5001 5061 5129	4059 4120 4169 5060 5128 5182	59 61 49 60 68 54 TOTAL 351	**116**
11	M.A. Final DRAWING M.A. Final ECONOMICS M.A. Final HINDI M.A. Final HISTORY M.A. Final HOME SCI. M.A. Final POL.SCI. M.A. Final MUSIC M.A. Prev. HISTORY M.A. Prev. HOME. SC	6001 6017 6042 6088 6133 6155 6206 7001 7003	6016 6041 6087 6132 6154 6205 6211 7002 -	16 25 46 45 22 51 06 02 01 TOTAL 214	**109**
			कुल मतदाता	2648	

वेब पेज हेतु

मुख्य चुनाव अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2022/59 दिनाँकः 27.8.2022

चुनाव अति आवश्यक

छात्रासंघ चुनाव 2022–23

अत्यावश्यक सूचना

मतपत्र निरस्त होने की दशाऐं

1 **मतदान के समय यदि कोई मतदाता मतपत्र को खोल कर प्रदर्शित करता है अथवा किसी भी प्रकार से मतदान की गोपनीयता भंग करता है** तो पीठासीन अधिकारी ऐसी स्थिति में मतपत्र पर "मतदान की गोपनीयता भंग की" लिख कर उस मतपत्र को निरस्त कर अपने हस्ताक्षर कर मतपेटी में डाल देगा।

2 **मतपत्र पर मतदाता अपना नाम, कोई चिन्ह आदि अंकित करता हैं तथा मतपत्र का कोना इत्यादि फाडता है।** किसी भी प्रकार से यदि मतपत्र से मतदान की गोपनीयता भंग होती हो तो ऐसी स्थिति में मतपत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

3 मतपत्र पर मतदाता को कार्यकारी परिषद के विभ्भिन पदों के जिस प्रत्याशी को मत देना चाहे उसके नाम के आगे ऐरोक्रास सील लगानी है। **मतपत्र बिल्कुल खाली छोडने अथवा एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे के कालम में ऐरोक्रास सील लगाने पर** तत्संबंधी पद का मतपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

4 कक्षा प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु मतपत्र पर अंकित प्रत्याशी के क्रमांक के आगे मतदाता जिस प्रत्याशी को मत देना चाहे उसके क्रमांक के कालम में ऐरोक्रास सील लगानी है। मतपत्र बिल्कुल खाली छोडने पर अथवा निर्धारित पदों की संख्या से अधिक प्रत्याशियों के क्रमाकों के कालम में ऐरोक्रास सील लगाने पर अथवा सील के अतिरिक्त पहचान का कोई भी चिन्ह अंकित करने पर मतपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5 विशेष सूचना :–

1 पुःन सूचित किया जाता है कि कार्यकारी परिषद् के विभिन्न पदाधिकारियों के मतपत्र अलग–अलग रंग के हैं।

2 मतपत्र मोडने में गलती के कारण एक जगह पर अंकित सील की छाया दूसरी जगह अंकित होने पर मतपत्र निरस्त नहीं समझा जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

Scanned with CamScanner